P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-III* Issue- X* June -2016

ग्रामीण भारत में महिला उद्यमिता एवं स्त्रियों का स्थान

पूजा तिवारी
शोध छात्रा,
समाजशास्त्र विभाग,
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय,
जमुनीपुर,कोटवा,
इलाहाबाद

ए० के० अग्निहोत्री
प्रो०, पूर्व निदेशक,
आर.बी.एस. कॉलेज,
मेजा, इलाहाबाद

सारांश

महिलाओं ने अपने परिवार तथा समाज के विकास के लिए वस्तुतः स्वयं को मिटा दिया तथापि योजनाबद्ध विकास के 63 वर्षों के बाद भी उन्हें सामाजिक राजनैतिक आर्थिक व्यवस्था में यथोचित स्थान नहीं मिला है। विभिन्न सामंजस्यपूर्ण कारकों के कारण पूर्व कालों की तुलना में पिछले तीन दशकों से कुछ अधिक की अवधि में महिलाओं की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है। महिलाओं के लिए अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा, जहाँ उनकी पहुँच न हों। भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमत्री विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री, लोकसभा की अध्यक्ष, राज्यसभा की अध्यक्ष, राज्यपाल, राजदूत, न्यायाधीश इत्यादि पदों को सुशोभित कर चुकी है। भारतीय मूल की कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम कोनासा के अन्तरिक्ष यात्रादल के चुने गये सिविलियन मिशन के विशेषज्ञों में शामिल किया गया। प्रसिद्ध धाविका रोसाकुट्टी एवं भारोत्तोलक मल्लेश्वरी को उनकी उपलब्धियों के कारण अर्जुन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मेरी कॉम, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल आदि महिलाओं ने खेल जगत में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलायी है। भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक एवं निजी बैंक दोनों में महिलाएँ ही प्रमुख हैं।

मुख्य शब्द : ग्रामीण भारत, महिला उद्यमिता, स्त्रियों का स्थान

प्रस्तावना

''स्त्रियों की अवस्था में सुधार हुए बिना विश्व के कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है।'' **–स्वामी विवेकानन्द**

विकसित तथा विकासशील देशों का इतिहास यह स्पष्ट करता है कि– सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए किसी भी देश में महिला उद्यमिता (Women Enterprenurship) की भूमि का सबसे आकि महत्त्वपूर्ण होती है। भारत जैसे देश में महिला उद्यमिता एक ऐसा विषय है, जिसके बारे में न तो प्रमाणिक आँकड़े उपलब्ध है, और न ही अध्ययन की दृष्टिकोण से इसे अधिक महत्त्व ही दिया जा सका है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्त्रियों की स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन इन परिवर्तनों में सबसे प्रमुख उद्यमिता के क्षेत्र में स्त्रियों का आगे आना है।

महिला उद्यमिता का अर्थ एक ऐसी जटिल प्रक्रिया से है, जिसका उद्देश्य किसी आर्थिक क्रिया अथवा इकाई का प्रसार करना होता है। अर्थात् भारत में महिला उद्यमिता का अर्थ किसी नवाचार का प्रसार करने से उतना अधिक नहीं है, जितना कि उत्पादन के साधनों को संगठित करने से।

भारत में स्त्रियों की कुल जनसंख्या का एक बहुत छोटा भाग ही महिला उद्यमियों के रूप में है। भारत में स्त्रियों की जनसंख्या का लगभग 30 से 40 प्रतिशत भाग ही श्रम शक्ति से सम्बन्धित है, तथा पिछले तीस वर्षों में इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत में अधिकांशतः 70–80 प्रतिशत महिला उद्यमी मध्यम वर्ग के व्यवसाय की सदस्य हैं, जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक महिला उद्यमी शिक्षित हैं। सर्वप्रथम 1958 में महिला औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना की गयी। सन् 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष और उसी वर्ष महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति अंगीकार किये जाने का भी प्रभाव परिलक्षित हुआ है।

उद्देश्य

भारतीय महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि यदि अवसर मिले तथा संसाधन सुलभ हो तो हर सम्भव क्षेत्र में तथा उन क्षेत्रों में जिसे पुरुषों का गढ़ माना जाता है प्रवेश कर सकती है और उत्कृष्ट कार्य कर सकता है। प्रायः सभी क्षेत्रों में चाहे राजनीति हो या सामाजिक सेवा, प्रशासन हो या सेना सभी में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। किन्तु वास्तविकता यह है कि कुल भारतीय

महिला जनसंख्या के एक छोटे से हिस्से ने ही विकास के इन सभी लाभों को प्राप्त किया है और बहुसंख्यक ग्रामीण गरीब महिलाएँ इससे वंचित रही हैं। भारत पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाएँ माँ के गर्भ से मृत्यु की गोद तक शोषण, दमन, अत्याचार एवं उत्पीड़न का शिकार हैं। इस पुरूष प्रधान समाज के कारण ही पुरूष शासक एवं महिला शोषित बनकर रह गयी हैं। यद्यपि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कतिपय लिंग विषयक प्रस्थिति सूचकों जैसे महिलाओं की बढ़ी आयु–प्रत्याशा, मातृ मृत्युदर में कमी शिशु और बाल–मृत्युदर में वृद्धि, औपचारिक और अनौपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया में महिला में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इत्यादि में निश्चित रूप से प्रगति हुई है।

प्रस्तुत शोधपत्र में ग्रामीण भारत में महिला–उद्यमिता एवं स्त्रियों का स्थान तथा प्रस्थिति का मूल्यांकन प्रस्थिति सूचकों तथा लिंग अनुपात और आयु–प्रत्याशा व मृत्यु–दर, स्वास्थ्य और पोषण, महिला साक्षरता, कार्य सहभागिता दर, तथा राजनैतिक–भागीदारी आदि के आधार पर किया जाएगा।

लिंग–अनुपात

किसी देश की सामाजिक स्थिति तथा अर्थव्यवस्था में स्त्री पुरुष अनुपात की महत्त्वपूर्ण भूमिका पायी जाती है। दुनिया के सभी विकसित देशों में आबादी की लिंग संरचना में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक है। 2011 में विश्व में 984 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरूषों पर पायी गयी। भारत में सामान्य जनसंख्या वृद्धि के साथ पिछले 100 वर्षों में महिला जनसंख्या में वृद्धि हुई है। किन्तु प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या अर्थात् लिंग अनुपात में सतत् ह्रास हुआ है। 1901 में प्रति 1000 पुरूषों पर 972 महिलाऐं थीं जो 1951 में घटकर 946 तथा 1971 में बढ़कर 930 एवं 1991 में 927 पहुँच गयी। यद्यपि 2001 में यह अनुपात 933 एवं 2011 में 943 हो गया, परन्तु अभी भी पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या काफी कम है। 2001 एवं 2011 के दशक में लिंग अनुपात में सुधार, स्त्रियों की सामान्य मृत्यु–दर में गिरावट के कारण हुई जो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार एवं जागरूकता बढ़ने के कारण सम्भव हुआ है।

जनगणना 2011 में राज्य स्तर पर सर्वाधिक महिलाओं का यह अनुपात केरल में (1084) पाया गया। उसके बाद उच्च लिंगानुपात तमिलनाडु (996) एवं आन्ध प्रदेश (993) में पाया गया। राज्य स्तर पर सबसे कम महिलाओं का अनुपात हरियाणा (879) में पाया गया। भारत में जहाँ एक ओर सम्पूर्ण लिंगानुपात में 2001 एवं 2011 में सुधार हुआ, वहीं सबसे चिन्ताजनक तथ्य बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष के शिशु) में ह्रास हुआ है।

लीला विसरिया के अनुसार

''2001 की जनगणना में हरियाणा, पंजाब, गुजरात तथा महाराष्ट्र के 0–6 वर्ष की आयु में बच्चों में लड़कों की अधिक भरमार से यह साफ सिद्ध होता है कि व्यापक पैमाने पर कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर हमने यह कौन–सा समाज बनाया है जहाँ एक अबोध बच्ची को, एक औरत को बेमौत मरने को मजबूर होना पड़ता है। जनगणना 2011 के आँकड़ों के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, हिमांचल प्रदेश जैसे राज्यों में लिंग के आधार पर बच्चे के जन्म का निर्णय लेने का रिवाज बढ़ रहा है। यह भी तथ्य उभर कर सामने आया है कि बाल लिंगानुपात पश्चिम के समृद्ध गोवा महाराष्ट्र जैसे राज्यों से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे निर्धन राज्यों में नीचे आ रहा है।

आयु प्रत्याशा और मृत्यदर

भारत में पुरूष और महिलाओं दोनों की आयु प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, परन्तु महिलाओं में वृद्धि दर ऊँची रही है और 1981 के बाद वे पुरूषों से अधिक दीर्घजीवी बन गयी ह। 1921 में दोनों लिंगों के लिए आयु प्रत्याशा 26 वर्ष थी। 1994 में महिलाओं की आयु प्रत्याशा बढ़कर 61.1 एवं 2007 में 63.3 वर्ष थी। भारत में क्षेत्रीय स्तर पर महिला जीवन प्रत्याशा में केरल का स्थान सर्वोपरि है जिसके बाद क्रमशः पंजाब, हिमांचल प्रदेश, हरियाणा एवं तमिलनाड् का स्थान है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश एवं असम में जीवन प्रत्याशा का स्तर सबसे निम्न है। असम में मातृ मृत्युदर में राज्य स्तर पर काफी विषमता मिलती है। असम में मातृ मृत्युदर का औसत 480, उत्तर प्रदेश में 440, राजस्थान में 338, मध्य प्रदेश में 335, बिहार में 312 तथा उड़ीसा में 303 जबकि केरल में 95 है।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं की अपर्याप्तता, प्रशिक्षित चिकित्सकों, एवं चिकित्सा कर्मियों का अभाव एवं महिला चिकित्सकों की अनुपस्थिति तथा गरीबी के कारण ग्रामीण महिलाओं का मृत्युदर बहुत अधिक है। भारत में महिलाओं की मृत्यु के कारणों में रक्त अल्पता, आत्महत्या, जलना, पीलिया और कैंसर है। भारत में पुरुषों की अपेक्षा महिलायें अस्वस्थता की शिकार अधिक है।

स्वास्थ्य एवं पोषण

भारत में आज भी गरीबी के कारण स्त्रियों के अस्वस्थता को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है। यद्यपि महिला के स्वास्थ्य का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण परिवार के स्वास्थ्य, विकास व खुशहाली पर पड़ता है। स्वतंत्रता के पश्चात् देश में जननी सुरक्षा योजना, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना, सबला योजना, इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन विविध कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व संवेदनशीलता बढ़ी है, और संक्रामक रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण किया गया ह।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के मुताबिक ''देश की पाँच गर्भवती महिलाओं में एक महिला खून की कमी से ग्रस्त है'' जिसके कारण देश में शिशु मृत्युदर और मातृत्व मृत्युदर अन्य देशों की अपेक्षा काफी अधिक है जो कि चिन्ताजनक व विचारणीय तथ्य है।''

एक अनुमान के अनुसार 27 करोड़ महिलाएं प्रीमेस्टुअल सिन्ड्रोम से पीड़ित है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली 40 प्रतिशत महिलाओं को ल्यूकोरिया, अल्सर और गर्भाशय कैंसर जैसी बीमारियों ने घेर रखा है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार– ''15 से 49 वर्ष तक की उम्र वाली 35 प्रतिशत महिलाएँ खून की कमी से जूझ रही हैं जिसका नतीजा गर्भकाल में 20 प्रतिशत से ज्यादा

मृत्युसमय पूर्ण शिशुओं के जन्म में तीन गुना वृद्धि तथा नौगुना अधिक प्रसव पूर्व मृत्यु के मामलों के रूप में सामने आती है।

ज्ञातव्य है कि जहाँ निम्न सामाजिक तथा आर्थिक समूहों में निम्न पोषण प्रस्थिति का मुख्य कारण गरीबी और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ है वहीं निम्न मध्यम आय वर्गों में यह सामान्य उपेक्षा से और विकट हो जाता है।

महिला साक्षरता

गरीबी का उन्मूलन करने और लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक जोवन में सुधार लाने का सबसे शक्तिशाली साधन शिक्षा है। गाँधी जी ने कहा था– ''जब आप किसी महिला को शिक्षित करते हैं तो आप परिवार को शिक्षित करते हैं।'' यह माना जाता है कि शिक्षा स्त्रियों में निर्णय लेने की क्षमता की वृद्धि करती है तथा उसकी आय क्षमता को भी सुदृढ़ बनाती है जिसके कारण स्वाभाविक तौर पर सम्पूर्ण परिवार और विशेषतया बच्चों को बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होती है। हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के 67 वर्षों बाद अनेक प्रत्यनें के बावजूद भारत की एक तिहाई से अधिक (35.40) महिलाएं निरक्षर हैं। यद्यपि महिलाओं की साक्षरता में पिछले 6 दशकों (1951–2011) में काफी वृद्धि हुई है। जहाँ वर्ष 1951 में मात्र 8.86 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं वही 2011 में इनका प्रतिशत बढ़कर 64.60 प्रतिशत हो गया। यद्यपि जहाँ वर्ष 2011 में पुरूष साक्षरता 80.90 प्रतिशत थीं, वहीं महिला साक्षरता उससे 16.30 प्रतिशत रहा जो कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है। यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर महिला साक्षरता में काफी वैषम्य मिलता है। जहाँ सर्वाधिक केरल में 92.1 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं वहीं सबसे कम बिहार में 51.5 प्रतिशत महिलाएं ही शिक्षित हैं। राजस्थान में मात्र 52.1 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। अर्थात् इन दोनों राज्यों में अभी लगभग आधी (48 प्रतिशत से अधिक) महिलायें निरक्षर हैं, जो कि सभ्य समाज के लिए कलंक है। जबकि दूसरी तरफ राजस्थान एवं बिहार राज्य में पुरुष साक्षरता क्रमशः 79.2 एवं 71.2 पतिशत है। झारखण्ड में 55.4, जम्मू कश्मीर में 56.4, उत्तर प्रदेश में 57.2, मध्य प्रदेश में 59.2 एवं छत्तीसगढ़ में मात्र 60.2 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं।

भारत साक्षरता में प्रगति (1951–2011)

जनगणना वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	स्त्री
1951	18-33	27-16	08-86
1961	28-31	40-40	15-35
1971	34-45	45-96	21-97
1981	43-57	56-38	29-76
1991	52-21	64-13	39-29
2001	64-84	75-26	53-67
2011	73-00	80-90	64-60

स्रोत– जनगणना रिपोर्ट विभिन्न वर्ष

अर्थव्यवस्था एवं राजनीति में महिला उद्यमिता एवं स्त्रियों की भागीदारी

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से उनका आत्म सम्मान बढ़ेगा और समाज में उनकी स्थिति ऊँची होगी। विगत तीन दशकों में ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से उत्पादक कार्य–कलापों में उद्यमी महिलाओं की कार्य–भागीदारी बढ़ी है। भारत में 2001 की जनगणना में कुल जनसख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 39.1 प्रतिशत था। यह महत्त्वपूर्ण है कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या 51.7 प्रतिशत एवं महिला कार्यशील जनसंखय 25.6 प्रतिशत थी। वर्ष 201 में जहाँ नगरीय क्षेत्रों में महिला कर्मकारों का प्रतिशत मात्र 11.9 था वहीं 2011 में बढ़कर 15.4 प्रतिशत हो गया। सकारात्मक तथ्य यह उभरकर आया है कि जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में कार्यशील जनसंख्या की वास्तविक संख्या में वृद्धि हुई है। राज्यस्तर पर सर्वाधिक कार्यशील महिलायें हिमांचल प्रदेश (44.8 प्रतिशत) एवं सबसे कम पंजाब (13.9) प्रतिशत एवं देश की राजधानी दिल्ली में मात्र 10.6 प्रतिशत महिलायें कार्यरत हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट (64वाँ चरण 2007–08) ने एक चौकाने वाली बात बतायी है कि 20 वर्ष के अप्रत्याशित आर्थिक विकास के बाद भी किसी वेतनदायी कार्य में महिलाओं की कुल संख्या 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। आधुनिक काल में राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी हमेशा से रही है। श्रीमती सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पण्डित, इन्दिरा गाँधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, शीला दीक्षित, मायावती, वसुन्धरा राजे सिंधिया, जयललिता, आनन्दी बेन पाटिल, ममता बनर्जी, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, अंबिमा सोनी, स्मृति इरानी आदि महिलायें प्रमुख राजनीतिक पदों पर या तो आसीन रही हैं या वर्तमान में हैं।

निष्कर्ष

21वीं शताब्दी में सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, अपराध, बलात्कार एवं यौन शोषण में तीव्र वृद्धि हो रही है। दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी रखने वाले भारत के पुरूषों की जब तक सोंच नहीं बदलेगी तब तक कानून बना देने मात्र से इसमें कमी नहीं आएगी। शिक्षा और जनसंचार माध्यमों में महिलाओं को वस्तु के बजाय व्यक्ति समझने का संस्कार डालकर नयी पीढ़ी की सोच को संतुलित और स्वस्थ बनाने की जरूरत है। स्त्री की मुक्ति का मार्ग स्त्री के अपने संघर्ष और लैंगिक चेतना के कारण ही होगा। राजनीतिक अधिकारिता आर्थिक स्वावलम्बन, शैक्षिक और सामाजिक उत्थान ये सभी घनिष्ठ रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। इनमें अभिवृद्धि से महिलाओं की प्रस्थिति में निश्चित ही सुधार होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. G.K. Pillai, 'Women Enterpreneurship in an Industrially Backward State Enterpreneurship, N.S. Bisht and Others (Ed.), p. 171.
2. Geeta sen, Women Work and Women Agricultural Labourers, Working Paper: Centre for Development Studies, Trivendrum.
3. Schumpeter, J.A., The Theory of Economic Development, P. 66.
4. Norman Long, Introduction of the Sociology of Rural Development, p. 128.
5. Leela Visaria, (2004), "Mortality Trend and the Health Transition" in Tim Dysen, Rebert Carsen and Leela Visaria (ed), Twenty First century India", New Delhi, P. 41.
6. मोदी के०एम० (2012), ''ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु उठाये गये कदम'', कुरूक्षेत्र, अगस्त

ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ० 20–25.

7. मुदगल चित्रा (2001) 'स्त्री दलित है'' सुमन कृष्ण कांत द्वारा सम्पादित 'इक्कीसवीं सदी की ओर', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० 119–121.

8. सिंह श्रीप्रकाश (2010) ''लैंगिक चेतना एक सामाजिक अवधारणा'', राष्ट्रीय भौगोलिक पत्रिका वर्ष 1, अंक 1 एवं 2, एन.जी.एस.आई. वाराणसी, पृ० 49–55.